राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2539/2025

नवीन्द्र कुमार मीणा

–अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. पुलिस महानिरीक्षक, कोटा रेंज, कोटा।
3. पुलिस अधीक्षक, बूंदी।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.04.2025
आदेश की दिनांक : 20.05.2025

अपीलार्थी की ओर से : श्री एम.एस. राघव, अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी को दिनांक 29.09.2008 (अनुलग्नक–2) द्वारा कनिष्ठ सहायक के पद पर विभाग में नियुक्त किया गया था। वर्ष 2016 में अपीलार्थी को यूडीसी के पद पर पदोन्नत किया गया तथा उसके बाद दिनांक 02.12.2024 के आदेश के तहत सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया। (अनुलग्नक–3) अपीलार्थी के विरूद्ध एफआईआर संख्या 478/2024 दर्ज करने के कारण उसे धारा 13(2) नियम, 1958 के अन्तर्गत दिनांक 23.12.2024 को निलंबित रखा गया था। अपीलार्थी 23.12.2024 से निलम्बित है तथा आज तक निलम्बित है। आज तक भी उक्त एफआईआर में एलडी जांच एजेंसी द्वारा अपीलार्थी के खिलाफ कोई आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया है तथा निकट भविष्य में आपराधिक मुकदमा शुरू होने की कोई संभावना नहीं है, न ही अपीलार्थी के खिलाफ कोई विभागीय जांच का आदेश दिया गया है। प्रतिवादी अर्थात एस.पी., बूंदी ने अपने आदेश दिनांक 23.12.2024 के तहत एक नॉन–स्पीकिंग आदेश पारित करके अपीलार्थी को निलंबित करने का आदेश दिया और आरसीएस (सीसीए) नियम, 1958 के नियम 13 (2) के आलोक में एफआईआर दर्ज करने के आधार पर अपीलार्थी को निलंबित कर दिया। अपीलार्थी ने निलंबन रद्द करने के लिए बार–बार प्रत्यर्थीगण से संपर्क किया। अपीलार्थी ने यहां तक कि आरसीए (सीसीए) नियम, 1958 के नियम 22 के तहत एलडी अपीलीय प्राधिकारी से संपर्क किया और दिनांक 05.02.2025

को अभ्यावेदन/अपील दायर करके एलडी प्राधिकारी से अपीलार्थी का निलंबन रद्द करने का अनुरोध किया। हालांकि, अपीलार्थी के निरंतर अनुरोध के बावजूद, आज तक कोई और कार्रवाई नहीं की गई है। इसके बाद, निर्धारित समय के भीतर विभागीय कार्यवाही शुरू न करने और अजय कुमार चौधरी बनाम के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के आलोक में बदली परिस्थितियों पर विचार करते हुए। यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य, 2015 7 एससीसी 291, अपीलकर्ता ने आरसीएस (सीसीए) नियम, 1958 के नियम 13 (5) के तहत अपीलार्थी के निलंबन आदेश की समीक्षा के लिए फिर से प्रतिवादियों से संपर्क किया, लेकिन उक्त अभ्यावेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। (अनुलग्नक–4) माननीय न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के आलोक में अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया तथा अपीलार्थी को इस संबंध में अनुस्मारक भी भेजे गए।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को आदेश दिया जावे कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के संबंध में जारी आदेश दिनांक 23.12.2024 को अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी के निलंबन आदेश को अपास्त किया जावे। साथ ही अपीलार्थी को सभी परिणामी लाभों के साथ सेवा में पुनः बहाल करवाया जावे।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष प्रस्तुत अभ्यावेदन लम्बित है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है। अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/ दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(विकास सीताराम भाले)
अध्यक्ष